भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

ज्योतिबा फूले नगर

10 JAN 2007

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 030948

इकरारनामा मुआयदा बैय

सौदा – 7,50000/–रुपये ।

मियाद – एक वर्ष ।

एडवान्स– 4,40,000/–रुपये ।

स्टाम्प– 30100/–रुपये कुल

हम कि –

रघुनन्दन प्रसाद पुत्र भदईसिंह जाति जाटव पेशाखेती

....2पर

प्रथम पक्ष अ0

रघुनन्दन प्रसाद

द्वितीय पक्ष अ0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 03057

वरिष्ठ कोषाधिकारी

{2}

ग्राम रायेपुर खुर्द तहसील व परगना अमरोहा

....3 पर

प्रथम पक्ष

अ॰

XXXXXXXX

XXXXXX

द्वितीय पक्ष अ०

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ज्योतिबा फूले नगर

20 ... 2004

कोषाधिकारी

A 030577

4

व

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

प्रथम पक्ष

अ॰ रघुनन्दन प्रसाद

xxxxxxx

/xxxxx

अ०द्वितीय पक्ष

Dalim Ahmed

3054

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

ज्योतिबा फूले नगर

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 030941

{5}

रफीक अहमद मैमोरियल ट्रस्ट 178, जाकिर बाग, नई दिल्ली द्वारा

सैटलर / ट्रस्टी श्री सलीम अहमद पुत्र रफीक अहमद पेशा व्यापार ,

निवासी 178 जाकिर बाग नई दिल्ली ।

.....6पर

अ0प्रथम पक्ष

अ0द्वितीय पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 030578

वरिष्ठ कोषाधिकारी

﴾6﴿

﴾द्वितीय पक्ष﴿

... 7 पर

प्रथम पक्ष

XXXXXX

XXXXXX

अ०द्वितीय पक्ष

Halim Ahmad

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 03057

वरिष्ठ कोषाधिकारी

{3}

जिला जे0पी0नगर {प्रथम पक्ष}

.... 4पदर

प्रथम पक्ष

XXXXXX

XXXXXX

अ0द्वितीय पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

स्थानीय वरिष्ठ कोषाधिकारी
ज्योतिबा फूले नगर
10 JAN 2007
मुख्य रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 069227

(7)

नोट- मुकिरा के बाँय हाथ के पाँचों उंगलियो के निशान- लगे हैं ।

प्रथमपक्ष

द्वितीय पक्ष -

SR
7/3/07

जो कि प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है और उस पर काबिज़ है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार बन्धल आदि से स्वच्छ एवं मुक्त है। उसमें कोई भागीदार नही है और उसके विक्रय करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को उससे सम्बन्धित समस्त स्वतत्व व अधिकारों एवं हितों सहित अपनी आवश्यकतावश वर्तमान बाज़ारी मूल्य मुबलिग 750000/-रूपये (सात लाख पचास हजार रूपये)

मे द्वितीय पक्ष के हाथ विक्रय करना निश्चित किया है और द्वितीय पक्ष ने इतने ही मूल्य में निम्नलिखित सम्पत्ति क्रय करनी स्वीकार की है और द्वितीय पक्ष बैनामा की तहरीर व रजिस्ट्री के लिए अपनी सहमति से एक वर्ष अर्थात दिनांक 16-1-07 से दिनांक 15-1-2008ई0 तक की अवधि निश्चित करते है। प्रथम पक्ष ने कुल विक्रय धन में से मुबलिग 740000/-रूपये (सात लाख चालीस हजार रूपये) बतौर अग्रिम धन द्वितीय पक्ष से निम्न प्रकार प्राप्त किया है अतः दोनो पक्ष निम्नलिखित शर्तों के पाबन्द रहेगें नं० १ यह प्रथम पक्ष निश्चित की गई उपरोक्त अवधि के भीतर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का बैनामा निश्चित की गई उपरोक्त धनराशि में बहक द्वितीय पक्ष कर देगा और कोई आपत्ति किसी भी प्रकार का बैनामा करने में न करेगा। नं० २ यह शेष विक्रय मूल्य द्वितीय पक्ष बैनामे की रजिस्ट्री के समय प्रथम पक्ष को नकद अदा करेगा। नं० ३ यह कि उपरोक्त अवधि के भीतर प्रथम पक्ष बैनामे न करे और करने से इन्कार करे तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह शेष विक्रय मूल्य अदालत के अधिकार में दाखिल करके तथा बैनामें की तकमील कराकर कानून के अन्तर्गत रजिस्ट्री करा लें प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी। नं० ४ यह कि बैनामे की तहरीर व रजिस्ट्री खर्च द्वितीय पक्ष के ज़िम्मे रहेगा। परन्तु यदि द्वितीय पक्ष को बैनामे की तकमील के लिए अदालत में कार्यवाही करनी पड़ी तो ऐसी दशा में जो मौजूद रकम खर्च आवेगी वह प्रथम पक्ष के जिम्मे रहेगी और द्वितीय पक्ष को इस रकम प्रथम पक्ष की चल अचल सम्पत्ति से मय खर्च बज़रिये अदालत के प्राप्त करने का हक़ रहेगा। नं० ५ यह कि उपरोक्त अवधि के भीतर द्वितीय पक्ष बैनामा न करायें और कराने से इन्कार करे तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष का अग्रिम धन ज़ब्त माना जावेगा और प्रथम पक्ष अग्रि‍म धन लौटाने का पाबन्द न होगा। द्वितीय पक्ष के बैनामे न करने की दिशा में निम्नलिखित सम्पत्ति इस प्रतिज्ञा पत्र की कुल शर्तों की पाबन्दी से मुक्त मानी जावेगी। नं० ६ याकि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह बैनामा स्वंय अपने नाम से करायें या अपने किसी सम्बन्धित व्यक्ति को अपने साथ शामिल करके करायें। टुकड़ों को अलग अलग नाम करायें या प्रथम पक्ष की कोई अपत्ति किसी प्रकार की न होगी। नं० ७ यह कि प्रथम पक्ष ने आज अपनी इस सम्पत्ति का कोई प्रतिज्ञा पत्र विक्रय व सादा रजिस्ट्री नही लिखा है और न ही किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित और न भविष्य में प्रलेख के विपरीत करेगा। नं० ८ यह कि प्रथम पक्ष अपनी इकरार की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में आयकर अधिकारी से आवश्यक अनुमति अन्दर म्याद प्राप्त करेगा तथा इसकी सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा द्वितीय पक्ष को देगा। नं० ९ यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष कब्ज़ा बैनामे की तकमील के बाद करने का अधिकारी होगा। नं० १० यह कि केवल प्रतिज्ञा पत्र विक्रय है और बैनामा बाद में निश्चित अविध के अन्तर्गत किया जावेगा। नं० ११ यह कि प्रलेख को उपरोक्त कुछ शर्तों के दोनो पक्ष और उत्तराधिकारी पूर्ण पाबन्द होंगे। और भविष्यँ में भी पाबन्द रहेगें।

अतः यह **प्रतिज्ञा-पत्र विक्रय रू0 30100/के 7.... पन्नों** से संलग्न स्टाम्प पर लिखा कि प्रमाण हो और समय पर काम आवे। इति विवरण अग्रिम धन प्राप्ति 740000/-रूपये पेशतर रजिस्ट्री इकरारनामा मुआयदा वैय प्राप्त किये ।

ह0प्रथमपक्ष

ह0द्वितीय पक्ष

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम डिडौली .... तहसील अमरोहा

खसरा नम्बर	रक्बा	लगान	इकरारी भाग
348	1-412हे0	69-80/-रू0	384/1412भाग अर्थात 0-384हे0

नोट- फोटो का प्रमाणीकरण श्री मिन्जार हुसैन तुर्क एडवोकेट ने किया है तथा नम्बर 23,4व 6 मे जो दो अंगूठे लगे हैं कलमजदहै । तथा स्टाम्पपरत 4 की सतर नं0 2 कटी है।

अ0

अ0 Sabir Ahmed

हस्ताक्षर मुकिर........................

हस्ताक्षर साक्षी (1) (2) मिन्जार हुसैन एडवोकेट

लेख तिथि ....

लेखक का नाम आज दिनांक 15-1-2007 को बामुकाम तहसील अमरोहा मे यह इकरारनामा

पक्षकारों को ... [illegible]